सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	31/3/2022	पत्रावली पेश हुई। अधि० [illegible] उपस्थित। पत्रावली अप्रार्थीगण पेश हुई। वादी। श्रीमति [illegible] व वादी-2 श्रीमति [illegible] का विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अतः वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। मुताबिक निर्णय कार्यवाही की जावे। पत्रावली पूर्ण होकर के बाद [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/3/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 119/2011

1–श्रीमती प्रेमलता पत्नि स्व0 श्री शिशुपाल पुत्री स्व0 सोन्या, जाति रैगर, निवासी प्लॉट नम्बर 354, हसनपुरा डी, संतोष नगर, जयपुर।
2–श्रीमती तारा देवी पत्नि स्व0 श्री जेठाराम पुत्री स्व0 श्री सोन्या, जाति रैगर, निवासी रैगरों को मोहल्ला, रेल्वे स्टेशन के पास, सांभरलेक, फुलेरा, जयपुर।
............वादीगण

बनाम

1–राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुन्दरयावास, खरवासा की ढाणी, कालवाड थाने के पास, ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर।
2–सुवा पुत्र छोटू, जाति माली, निवासी सुन्दरयावास, खरवासा की ढाणी, कालवाड थाने के पास, ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
3–सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला जयपुर।
4–भगवान सहाय पुत्र देवी लाल, जाति महाजन (खण्डेलवाल), निवासी सुन्दरयावास, खरवासा की ढाणी, कालवाड थाने के पास, ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर।
............प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती एवं घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः 31/03/2022

दिनांक 27.12.2011 को वादी अधिवक्ता ने वाद बाबत् दुरस्ती एवं घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया जिसका सार इस प्रकार है:-

वादीगण की पैतृक कृषि भूमि ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर संवत् 2012 से 2025 की जमाबंदी केवट खतोनी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1072 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा, वादीगण के पिता सोन्या पुत्र जीवण के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रही है। वादीगण के पिता सोन्या पुत्र जीवण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के हिस्सा 1/2 के अपने जीवन काल में एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार रहे हैं। वादीगण के पिता सोन्या पुत्र जीवण का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि हिस्सा 1/2 के संयुक्त रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण अपने विवाह होने के पश्चात ससुराल चली गई। ससुराल जाने के पश्चात भी वादीगण अपने पिता द्वारा विरासत में छोडी गई कृषि भूमि की देखभाल व काश्त करती रहीं। राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करके, बिना किसी अधिकार के वादीगण के पिता सोन्या पुत्र जीवण की खातेदारी कृषि भूमि को मात्र इस आधार पर कि "वादीगण के पिता का मौके पर कब्जा नहीं पाया गया" खातेदारी निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रभाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

आकर उक्त भूमि को उनके नाम दर्ज कर दिया गया। जो वादीगण के अधिकारों के मुकाबले प्रभाव शून्य है। इस प्रकार वादीगण अपने पिता सोन्या पुत्र जीवण द्वारा छोडी गई पैतृक कृषि भूमि उपरोक्त में अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवानें के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। इसलिए उनके नाम दर्जशुदा वर्तमान खातेदारी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निरस्त कर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद पत्र पेश कर वादी ने निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1072 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर के हिस्सा 1/2 का वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में आई त्रुटि दुरस्ती कर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्सा उपरोक्त 1/2 की कब्जे काश्त की कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने एजेण्ट सर्वेण्ट, परिवारजन आदि से करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण करवाई गई। बाद तामील प्रतिवादी 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब प्राप्त हुआ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में अभिवचन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1070 व 1072 सोन्या पुत्र जीवण व टोडिया पुत्र जोधा को जरिये आवंटन पत्र आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार सोन्य पुत्र जीवण व टोडिया पुत्र जोधा का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं पाया गया, इस कारण कब्जे के अभाव में सोन्या व टोडिया का आवंटन निर्धारित विधिक प्रक्रिया के तेहत निरस्त कर दिया गया। इस कारण वादीगण का उक्त वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। सोन्या व टोडिया के आवंटन को निरस्त किये जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि को सक्षम अधिकारियों व अलॉटमेंट कमेटी द्वारा पुनः दीगर व्यक्तियों को आवंटित किया गया है, जिसमे खसरा नम्बर 1072 की भूमि देवीलाल पुत्र मनसुख दास एवं खसरा नम्बर 1070 की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित की गई है। भूमि खसरा नम्बर 1072 का कब्जा आवंटन के पश्चात उक्त आवंटी श्री देवीलाल द्वारा प्राप्त कर लिया गया व उक्त आवंटन के आधार पर देवीलाल पुत्र मनसुख का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित किया गया। उक्त आवंटी देवीलाल की मृत्यु के उपरांत भूमि खसरा नम्बर 1072 के राजस्व रिकॉर्ड में उनके पुत्र भगवान सहाय का नाम दर्ज व अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.08.1982 को बेचान सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा भी भौतिक एवं वास्तविक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भगवान सहाय पुत्र देवीलाल के नाम के स्थान पर [illegible] के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित किया गया [illegible] ही खसरा नम्बर 1072 की भूमि पर बतौर मालिक, स्वामी, खातेदार [illegible] काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1072 व 1070 के संबंध में सोन्या व टोडिया के नाम जारी किये गये आवंटन पत्र के निरस्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध उक्त आंटियों द्वारा कोई भी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है तथा ना ही उक्त आवंटियों द्वारा उनके आवंटन को निरस्त किये जाने के पश्चात भूमि के किये गये पुनः आवंटनों के आदेशों के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की गई तथा ना ही उक्त आवंटियों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

रशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

भूमि खसरा नम्बर 1072 व 1070 के पुनः जारी किये गये आवंटन पत्रों के आधार पर खोले गये नामान्तकरण आदेशों की कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस कारण भी वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि के किसी भाग व हिस्से पर कोई कब्जा नहीं रहा है। वादीगण के पिता सोन्या का आवंटन पत्र भी कब्जे के अभाव में ही खारिज किया गया था। इस प्रकार सोन्या पत्रु जीवण का ही वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं था, तो वादीगण का कब्जा होना कतई सम्भव नही है तथा कब्जे के अभाव मे भी वादीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। खसरा नम्बर 1072 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि मिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आवंटी श्री देवीलाल पुत्र मनसुख के पुत्र भगवान सहाय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.08.1982 विक्रेता के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारी का निरीक्षण करने व मौके पर कब्जे के संबंध मे मालुमात करने के पश्चात विक्रय प्रतिफल अदा कर क्रय की गई तथा मिन प्रतिवादी क्रय के पश्चात से ही करीब तीस वर्ष से खसरा नम्बर 1072 की भूमि पर काबिज है। इस प्रकार मिन प्रतिवादी खसरा नम्बर 1072 की वादग्रस्त भूमि का एक बोनाफाईड परचेजर है, जिसके विरूद्ध वादीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब में अंकित किया प्रतिवादी संख्या 2 सुवा पुत्र छोटू जाति माली भूमिहीन कृषक था, यह भूमि पूर्व से ही राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि थी, जो राज्य सरकार के पास आवंटन के लिये उपलब्ध थी जिसका अलोटमेंट राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट ऑफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर प्ररपज) रूल 1957 के अनुसार आलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलाटमेंट नियमानुसार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को पट्टा गैर खातेदारी जमीन सिवायचक का मिसल संख्या 1403/1972 खसरा नम्बर 1070 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा को प्रदान किया गया तत्पश्चात आवंटन दिनांक 30.03.1972 नामान्तकरण संख्या 271 दिनांक 25.11.1972 के तहत गैर खातेदार के रूपम में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम इन्द्राज किया गया है। आवंटन के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि पर सुधार कार्य चालू किया अथक मेहनत कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है। इसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ने कुआ निर्माण किया तथा अपना आवासीय मकान बनाकर रहने लगा तथा प्रारम्भ में बैलों से (लाव चडस) से सिंचाई करता रहा, फिर इस कुऐ पर डीजल पम्प लगाकर कृषि कार्य करता रहा तथा अपने परिवार की आजीविका चलाता रहा। प्रतिवादी संख्या 2 ने अलॉटमेंट की शर्ते नियमानुसार पूर्ण की तमाम घोषणाये अपने पक्ष में कराने के बाद अलॉटमेंट कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर वादी द्वारा किये गये सुधार निरन्तर कृषि कार्य इत्यादि को देखकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदारी अधिकार काश्तकार घोषित किया गया और राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वह किसी सोन्या पुत्र जीवण के उत्तराधिकारी हो ना ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किय है। वादीगणों को सोन्या पुत्र जीवण की उत्तराधिकारी नहीं माना ... में यह भूमि ठा. बहादुर सिंह के अधिकारित्व में थी, जो संवंत 201... तक मकबुजा ठिकाना (सिवाई चक) के रूप मे दर्ज थी, संवंत 2015 ... गिरदावरी में मात्र एक वर्ष (2018) पर सोन्य पुत्र ... अधिकारियों से मिलीभगत कर दिखा रखी है। उक्त भूमि सिवायचक दर्ज थी, ज... आवंटन के लिए उपलब्ध थी, जिससे नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम आवंटन किया गया खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, इस प्रकार वादीगण को कोई यदि आपत्ति थी, तो अलॉटमेंट के खिलाफ अपील परिसीमा में करनी चाहिए थी, अब 40 वर्ष पश्चात घोषणा का दावा किया है जो नियम विरूद्ध भी है व परिसीमा बाहर भी है। अतः वादी का जवाब दावा मय शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगणों द्वारा प्रस्तुत दावा मिथ्या आधारों पर व प्रतिवादी संख्या 2 को हैरान परेशान करने की मानसिकता से प्रस्तुत किया गया है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की प्रतिवादी संख्या 2 की प्रार्थना स्वीकार करने बाबत निवेदन किया है।

वाद पत्र में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी 1908 स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि 1072 के विक्रेता भगवान सहाय पुत्र देवीलाल को प्रतिवादी 4 के रूप में जोड़ा गया, परन्तु प्रतिवादी 4 द्वारा कोई जवाब पेश न करने के कारण 20.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 भगवान सहाय पुत्र देवीलाल जवाब बंद किया गया।

वाद पत्र व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अनुसार निम्नलिखित तनकी कायम की गई।

1–आया वादीगण विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1072 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि को दुरस्त कर हिस्सा 1/2 दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

......जिम्मे वादी

2–आया वादीगण प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारिणी है कि वादीगण के हिस्सा उपरोक्त 1/2 की कब्जे काश्त उत्पन्न नहीं करे, ना ही प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट परिवाजन आदि से करावे।

............जिम्मे वादीगण

3–आया उपरोक्त विवादित कृषि भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज होने के कारण किसी अन्य जाति को स्थानान्तरण करना अवैध है।

.....जिम्मे वादी

4–आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण के पिता के नाम जारी आवंटन पत्र निरस्त किया जाकर भूमि आवंटन देवीलाल व प्रतिवादीगण 2 के हक में किया जा चुका है।

.......जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

5–आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहें है।

.............जिम्मे प्रतिवादीगण सं0 1 व 2

6– अनुतोष।

बाद तनकी वादी द्वारा पी0डब्ल्यू0 1 प्रेमलता पत्नि स्व. श्री शिशुपाल पुत्री स्व. श्री सोन्या व पी0डब्ल्यू0 2 तारा देवी पत्नि स्व. श्री जेठाराम पुत्र स्व. श्री सोन्या, पी0डब्ल्यू0 3 हाबु मोर्य पुत्र रूड़ाराम मोर्य, पी0डब्ल्यू0 4 बंशीलाल बालोटिया पुत्र गणेश बालोटिया के साक्ष्य करवाए गये। जिनकी जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता ने की। दोरान साक्ष्य मुख्य तौर पर वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया व विवादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में उनका कब्जा नहीं होना बताया।

प्रतिवादी अधिवक्तागण की ओर से डी0डब्ल्यू0 ... मल सैनी पुत्र स्व. श्री तेजाराम डी0डब्ल्यू0 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री ... सैनी पुत्र स्व. श्री उदाराम, डी0डब्ल्यू0 4 सुवा पुत्र छोटू, डी0डब्ल्यू0 5 ... पुत्र स्व. श्री सेडूराम के साक्ष्य करवाए गये जिनकी जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी 1 अधिवक्तागण द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श किये गये।

1–आवंटन पत्र की सत्यप्रति (सोन्या, टोडिया)

2–जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की सत्यप्रति।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर ...

3–नामान्तकरण संख्या 116 दिनाक 14.11.1967
4–नामान्तकरण संख्या 201 की प्रमाणित प्रति।
5–नामान्तकरण संख्या 428 की प्रमाणित प्रति।
6–जमाबंदी संवत् 2039 से 2041 की सत्य प्रति।
7–जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 की प्रमाणित प्रति।

प्रतिवादी 2 अधिवक्तागण द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श किये गये।
1–खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2062 तक प्रमाणित प्रति।
2–अलॉटमेंट लैटर की प्रति।
3–जमा राजस्व की रसीदों की प्रति।
4–विद्युत कनेक्शन मांग पत्र व बिल की रसीद की प्रति।
5– परिवार कार्ड की प्रति।

उभयपक्षों के साक्ष्य उपरांत पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई व दिनांक 22.03.2022 को बहस सुनी गई जिस में उभयपक्षों ने वाद व जवाब दावे के तथ्य पुनः दोहराऐ। दौराने बहस वादी ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को निराधार गलत बताते हुये वाद वादी के पक्ष में तय करने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादीगण ने मुख्य तौर पर यह कथन किया कि वाद को साबित करने का भार वादी पर होता है। व वादी ने अपने वाद के समर्थन में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया व काश्तकारी अधिकार दस्तवोज साक्ष्य के आधार पर ही प्रदान किये जा सकते है। मौखिक साक्ष्य से नहीं। अतः वादी का वाद आधारहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

वाद में पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य व बहस के अनुसार तनकीवार निर्णय किया गया जो निम्नानुसार है।

तनकी न0 1:–आया वादीगण विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1072 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि को दुरस्त कर हिस्सा 1/2 दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

——जिम्मे वादी

तनकी न0 4:–आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण के पिता के नाम जारी आवंटन पत्र निरस्त किया जाकर भूमि आवंटन देवीलाल व प्रतिवादीगण 2 के हक में किया जा चुका है।

——जिम्मे प्रतिवादीगण

1 व 2

तनकी 1 व तनकी 4 एक–दूसरे से अन्तःसंबंधित होने के कारण उनका निर्णय साथ में किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद, साक्ष्य व बहस दौरान ... विवेचन किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1072 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वादी के पिता सोन्या पुत्र जीवण के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रही है। वादीगण के पिता सोन्या पुत्र जीवण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के हिस्सा 1/2 के अपने जीवल काल में एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार रहे है। विवादग्रस्त भूमि के संवत 2012 से 2025 तक निरन्तर काबिज रहे, परन्तु

रशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

वादिया द्वारा अपने पिता की इस निरन्तर खातेदारी को साबित करता कोई भी दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया।

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्तागण ने इस बावत् किए कि विवादग्रस्त भूमि पर वादिया के पिता सोन्या संवत् 2012 से 2025 तक निरन्तर काबिज नहीं रहे। जागीरदारी काल में यह भूमि ठा. बहादुर सिंह के अधिकारित्व में थी, जो संवत 2015 से 2030 तक मकबुजा ठिकाना (सिवाई चक) के रूप में दर्ज थी, संवत 2015 से आज तक की सम्पूर्ण खसरा गिरदावारी में मात्र एक वर्ष (2018) पर सोन्य पुत्र जीवण की काश्त है। सोन्या व टोडिया के आवंटन को निरस्त किये जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि को सक्षम अधिकारियों व अलॉटमेंट कमेटी द्वारा पुनः दीगर व्यक्तियों को आवंटित किया गया है, जिसमे खसरा नम्बर 1072 की भूमि देवीलाल पुत्र गनसुख दास एवं खसरा नम्बर 1070 की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित की गई है। भूमि खसरा नम्बर 1072 का कब्जा आवंटन के पश्चात उक्त आवंटी श्री देवीलाल द्वारा प्राप्त कर लिया गया व उक्त आवंटन के आधार पर देवीलाल पुत्र गनसुख का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित किया गया। उक्त आवंटी देवीलाल की मृत्यु के उपरांत भूमि खसरा नम्बर 1072 के राजस्व रिकॉर्ड में उनके पुत्र भगवान सहाय का नाम दर्ज व अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि का ज़रिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.08.1982 को बेचान सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा भी भौतिक एवं वास्तविक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भगवान सहाय पुत्र देवीलाल के नाम के स्थान पर विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 क्रय के पश्चात से ही खसरा नम्बर 1072 की भूमि पर बतौर मालिक, स्वामी, खातेदार व काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अपने कथनों को साबित करते निम्नलिखित दस्तावेज़ पेश किये।

1–आवंटन पत्र की सत्यप्रति (सोन्या, टोडिया)
2–जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की सत्यप्रति।
3–नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 14.11.1967
4–नामान्तकरण संख्या 201 की प्रमाणित प्रति।
5–नामान्तकरण संख्या 428 की प्रमाणित प्रति।
6–जमाबंदी संवत् 2039 से 2041 की सत्य प्रति।
7–जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 की प्रमाणित प्रति।

प्रतिवादी 2 अधिवक्तागण द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्श किये गये।
1–खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2062 तक प्रमाणित प्रति।
2–अलॉटमेंट लैटर की प्रति।
3–जमा राजस्व की रसीदों की प्रति।
4–विधुत कनेक्शन मांग पत्र व बिल की रसीद की प्रति।
5– परिवार कार्ड की प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

इस बावत् वादिया की मुख्य आपत्ति यह है कि उसके पिता की आवंटित की गई भूमि गैर कानूनी तरीके से खारिज की गई है परन्तु उसके समर्थन में वादिया द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया व ना ही आवंटन खारिज होने उपरांत कभी भी कोई अपील दायर की गई।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

उक्त प्रस्तुत बहस व दस्तावेजों से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि जागीरदारी काल में विवादग्रस्त भूमि जागीरदारी काल में ठा. बहादुर सिंह के अधिकारित्व में थी, जो संवत 2015 से मकबुजा ठिकाना (सिवाई चक) के रूप में दर्ज थी। विवादग्रस्त भूमि वादिया के पिता सोन्या को आवंटित की गई, परन्तु जमाबंदी में अंकित नोट व तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि पर काबिज न होने के कारण सोन्या का आवंटन खारिज किया गया व उसके बाद में यह भूमि खसरा नम्बर 1072, ग्राम कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर देवीलाल पुत्र मनसुख को आवंटित की गई व खसरा नम्बर 1070, ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर सुवा पुत्र छोटू को आवंटित की गई जिन्होनें इसकी खातेदारी विधि पूर्वक हासिल की व बतौर खातेदार उपयोग–उपभोग किया है। देवीलाल पुत्र मनसुख, दारा के फौत होने के उपरांत इस भूमि खसरा नम्बर 1072 का नामान्तकरण भगवान सहाय पुत्र देवीलाल के नाम हुआ व भगवान सहाय ने यह भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से पी0वी0 1 को विक्रय करदी व उसी के अनुसार जमाबंदी में नामान्तकरण तस्दीक हुआ। पी0वी0 1 राजेन्द्र सिंह का भूमि खसरा नम्बर 1072 ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर पर व पी0वी0 2 सुवा को भूमि खसरा नम्बर 1070 ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर पर हक पूर्ण रूप से वैधानिक है।

अतः पी0वी0 1 राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह व पी0वी0 2 सुवा पुत्र छोटू ने समस्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर खसरा नम्बर 1072 पर पी0वी0 1 व खसरा नम्बर 1070 पर पी0वी0 2 को वैधानिक खातेदार होना पूर्ण रूप से साबित किया व वादिया का विवादग्रस्त भूमि पर ना ही कब्जा है, न रिकॉर्ड में दर्ज-इन्द्राज है व ना ही वादिया के अधिकारों को सिद्ध करती उनके पक्ष की किसी न्यायालय की डिक्री है। अतः तनकी 1 व 4 पूर्ण रूप से प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में तय होती है।

तनकी न0 2:–आया वादीगण प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारिणी है कि वादीगण के हिस्सा उपरोक्त 1/2 की कब्जे काश्त उत्पन्न नहीं करे, ना ही प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट परिवाजन आदि से करावे।

---जिम्मे वादीगण

तनकी 1 के अनुसार वादी 1, 2 का विवादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार (कब्जा, रिकॉर्डेड खातेदारी या किसी न्यायालय की डिक्री) से सिद्ध नहीं होता है व प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह खसरा नम्बर 1072, प्रतिवादी संख्या 2 खसरा नम्बर 1072 के वैधानिक रिकॉर्डेड व काबिज खातेदार सिद्ध होते है।

अतः तनकी 2 स्वतः ही वादिया 1 व 2 के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तय होती है।

तनकी न0 3:– "विवादित कृषि भूमि [illegible] के नाम दर्ज होने के कारण किसी अन्य जाति को स्थानान्तरण करना अवैध [illegible]

---जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested

वादिया का यह कथन है कि "धारा 42, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को उस स्थिति में माना जाता है जहां किसी एक खातेदार द्वारा भूमि हस्तानान्तरण दूसरे खातेदार को जरिए विक्रय पत्र, उपहार, वसीयत इत्यादि किया जाता हों, परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में जहां सरकार (भू–धारक) द्वारा आवंटन किया जाता है वहां हर आवंटी को भूमि बतौर गैर खातेदार आवंटित की

अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक क[illegible]
जयपुर शहर [illegible]

जाती है व यदि उसके द्वारा आवंटन की शर्तें पूरी नहीं की जाती है तो यह आवंटन खारिज कर भू धारक के रूप में सरकार इस भूमि को किसी भी और लाभार्थी को आवंटन करने के लिए स्वतंत्र है। यह एक स्पष्ट कानूनी बिन्दु है व वाद में दर्ज/सिद्ध परिस्थितियों में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय होती है।

तनकी न0 5:- "प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है।"

---जिम्मे प्रतिवादी 1 व 2

बतौर कब्जा प्रतिवादी 1 राजेन्द्र सिंह ने अपना कब्जा विवाद ग्रस्त खसरा नम्बर 1072 पर होना बताया व प्रतिवादी संख्या 2 सुवा ने अपना कब्जा खसरा नम्बर 1070 पर होना बताया। वादी पक्ष ने अपने वा पत्र व साक्ष्य में विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा न होना, प्रतिवादी का कब्जा होना बताया है। अतः यह एक "एडमिटेड तथ्य" है कि विवादग्रस्त भूमि पर जमाबंदी में अंकित अनुसार खसरा नम्बर 1072 पर प्रतिवादी संख्या 1 व खसरा नम्बर 1070 पर प्रविवादी संख्या 2 का कब्जा है। यह तनकी निर्विवादित प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तय होती है।

अतः उक्त तनकीवार निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 1 राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह खसरा नम्बर 1072 ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर का वैधानिक काबिज व रिकॉर्डेड खातेदार है व प्रतिवादी संख्या 2 सुवा पुत्र छोटू खसरा नम्बर 1070 ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर का वैधानिक, काबिज व रिकॉर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादिया के पिता को पूर्व में बतौर गैर खातेदार आवंटित हुई परन्तु उसके उपरांत वह आवंटन "कब्जा न होने के कारण" खारिज कर दिया गया। वादी 1 व 2 के पिता का जब आवंटन ही खारिज हो गया तो व इस जमीन के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं माना जा सकता व इसके अनुसार उनकी पुत्रियां वादिया 1 व 2 को भी काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार केवल "खातेदारी अधिकारों" को ही *Heritable* माना गया है "गैर खातेदार के अधिकारों" को नहीं। अतः वादी 1 श्रीमती प्रेमलता व वादी 2 श्रीमती तारा का विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31/3/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अर्शदीप बरार
अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:37:49 IST
Reason: SelfAttested